

**संघ लोक सेवा आयोग  
भर्ती 1) अनुभाग**

पद का नाम:	विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्रोफेसर (सामान्य सर्जरी)केंद्र के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग मेंस्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा।
विज्ञापन संख्या:	10/2020
भर्ती के मामले रिक्ति संख्या:	20091004112
साक्षात्कार की तिथि	बाद में घोषित किया जाएगा।

➤ : चयन हेतु मानदंड: EQA (i) +EQA (ii)+EQ(B)

ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड की जांच के आधार पर, निम्न उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए लघु सूचीबद्ध किया जाता है।

श्रेणी	लघु सूचीबद्ध उम्मीदवार
अनारक्षित	अनुक्रमांक- 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 31, 34, 36, 39, 44, 45, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 65 & 66=29 उम्मीदवार.
अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुक्रमांक- 68, 69,74, 75, 76, 78, 79/PH, 82, 83, 84, 87 & 88=12 उम्मीदवार
अनुसूचित जनजाति	अनुक्रमांक- 116,118,119,120,121,125 &126 =07 उम्मीदवार
अनुसूचित जाति	अनुक्रमांक- 90, 91, 92, 93,96,99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110 & 112=15 उम्मीदवार

निम्नलिखित उम्मीदवार के आवेदनों को निर्धारित मानदंडों के तहत अपूर्ण पाए जाने पर खारिज कर दिया गया है:

श्रेणी /खारिज करने का कारण	सूची
अधूरे दस्तावेजों के तहत हमारे सीएफडी पत्र के प्रत्युत्तर में त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण नामंजूर कर दिया गया।	अनुक्रमांक; 24, 32, 35, 38, 52, 72, 89, ,97, 115 & 117=11 उम्मीदवार
एलईक्यू (बी) शिक्षण अनुभव के रूप में 03 वर्ष से कम /एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के 50% से कम है।	अनुक्रमांक; 20, 46, 85 & 111=04 उम्मीदवार
एलईक्यू/अपूर्ण। किंवदंतियाँ: आवश्यक योग्यता का अभाव।	शेष उम्मीदवार।

सभी आवेदकों की सूची अनुबंध 'अ' में है।

**(परिमल ठाकुर)**  
सलाहकार-सह-उप सचिव) भर्ती.।)

## उम्मीदवारों के लिए निर्देश

वे उम्मीदवार जो पद पर भर्ती हेतु शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों के अनुसार उनके आवेदन अस्वीकृत होने के अनुसरण में अभ्यावेदन करने के करने की इच्छा रखते हैं, वे दिनांक 14.01.202 तक उचित आधार/ कारणों के साथ मेल द्वारा अभ्यावेदन (sort1.upsc@nic.in) प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तारीख के पश्चात प्रस्तुत ई-मेल पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह के ई-मेल के साथ कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करने है। फिर भी यदि प्रस्तुत किए जाते है तो न तो उन्हें खोला जाएगा, और न ही उन पर विचार या कारवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दशार्ण गए आधार/ कारण अपनाए गए मानदंडों के अनुसार सही पाए जाते है तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अन्य को अस्वीकृत रखा जाएगा। इसके पश्चात, यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर अपलोड किए जाएंगे। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का अलग से जवाब नहीं दिया जाएगा।